फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

भीमाराम बनाम तरूण कुमार वगैरह

किस्म मुकदमा .....225.आर.टी.एक्ट..... मुकदमा नंबर.....28.....सन.....2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.04.2023	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा दिवानी प्रार्थना पत्र संख्या 109/2021 बउनवान तरूणकुमार बनाम भीमाराम वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 20.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में खातेदारी घोषित कराने का वाद प्रस्तुत किया, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट सहित सहखातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 नाबालिग है एवं उसकी माता अपीलांट को छोडकर कुछ समय से अपने परिवार के साथ रह रही है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का 30 दिन की अवधि में निस्तारण नहीं किया	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की आड में वादग्रस्त आराजी के उपयोग–उपभोग करने में वंचित हो रहा है। जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 20.09.2021 पारित कर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश जारी किए। विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " **3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability"** इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई हो तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है।
अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है एवं कानूनन रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जैर अपील आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है एवं उक्त प्रकरण को आदिनांक तक निस्तारण नहीं किया गया है जो कि आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी के प्रावधानो के विपरित है। अत उपरोक्त विवेचन के आधार पर सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कलक्टर जालोर द्वारा दिवानी प्रार्थना पत्र संख्या 109/2021 बउनवान तरूणकुमार बनाम भीमाराम वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 20.09.2021 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर जालोर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन दिवानी प्रार्थना पत्र संख्या 109/2021 बउनवान तरूणकुमार बनाम भीमाराम वगैरा में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना करते हुए उभयपक्षों को सुनकर 02 माह के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली